विविध

निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 35/2025
दायरा दिनांकः– 23.05.2025
निर्णय दिनांकः– 20.8.25

उनवान

1. पप्पुलाल आयु 40 वर्ष पुत्र रामकिशन जाति मीणा निवासी ग्राम बडोदिया तहसील छबडा जिला बांरा (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा जिला बारा (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय दिनांकः– 20.8.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री रामनिवास वैष्णाव – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0.एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि भिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136, एल० आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि वाके माल इब्राहीमपुर कदीम तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में भूमि खाता संख्या 31 की खसरा नंबर 3/13 रकबा 0.4047 है०, खसरा नबर 3/2 रकबा 1.7958 है० कुल किता दो रकबा 2.2005 हैक्टेयर भूमि स्थित है। नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती से भुलवश जमाबंदी एवं खाते में नाम हरगोविन्द है, जो आधार कार्ड, बैंक खाते एवं पेनकार्ड आयकर विभाग व राशनकार्ड एवं अन्य सरकारी विभागों में दर्ज है एवं पप्पूलाल ही प्रार्थी का वास्तविक नाम है। प्रार्थी का वास्तविक नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, गिरदावरियों एवं अन्य स्थान पर जहां गलत नाम हरगोविन्द दर्ज हुआ है, वहां पर प्रार्थी का सही नाम पप्पुलाल दर्ज होना न्यायहित में आवश्यक है। दिनांक 22.05. 2025 को प्रार्थी माननीय तहसीलदार साहब छबड़ा के पास उक्त पप्पू नाम सही दर्ज करवाने हेतु गया तो वहां तहसीलदार साहब ने कहा कि तुम नियमानुसार प्रार्थना पत्र दायर कर नाम सही करवाओ। यदि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज न्द्राज दुरुस्तीकरण कर सही नाम हरगोविन्द के स्थान पर पप्पूलाल नहीं किया गया तो प्रार्थी को काफी परेशानी होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति अर्थ से नही की जा सकेगी। प्रार्थी को अनैकानेक वाद–विवादों में उलझना पड़ेगा।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को तलब किया गया है। पैरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम इब्राहीमपुरा कदीम तहसील छबडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 31 नकल जमाबन्दी ग्राम बडोदिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 114 पेश की गई। फोटो प्रति पेन कार्ड, फोटो प्रति आधार कार्ड फोटो प्रति बेक पास बुक फोटो प्रति आधार कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम इब्राहीमपुरा कदीम तहसील छबडा में स्थित है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से पप्पुलाल के स्थान पर हरगोविन्द दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम पप्पुलाल है प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में पप्पुलाल है जबकि प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में गलत नाम हरगोविन्द है प्रार्थी अपना नाम अन्य दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में हरगोविन्द के स्थान पर पप्पुलाल दर्ज करवाने के अधिकारी है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार की योजनाओं के लाभसे वंचित होना पड रहा है जिससे प्रार्थी का काफी नुकसान हो रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दुरूस्त किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बातया कि प्रार्थी का ग्राम इब्राहीमपुरा कदीम में खाता संख्या 31 के कुल खसरा नम्बर 2 किता रकबा 2.2005 है भूमि में नाम हरगोविन्द पुत्र रामकिशन है जिसको वो पप्पुलाल पुत्र रामकिशन करवाना चाहता है। जिसकी राजस्व रिकार्ड से जॉच की गई उक्त भूमिश नामान्तरण संख्या 60 दिनांक 16.08.1988 बेचाननामें जर्ये गेन्दी बेवा किशोर रामदयाल पुत्र किशोर मीना सा०देह से मिश्रीलाल, हरगोविन्द पुत्र रामकिशन के नाम आयी थी जिसमें से मिश्रीलाल ने अपना हिस्सा 1/2 का बेचान दीनदयाल मोहनलाल पुत्र रामगोपाल को कर दिया है तथा हरगोविन्द का हिस्सा 1/2 वर्तमान जमाबन्दी तक चला आ रहा है ग्राम इब्राहीमपुरा कदीम व ग्राम बडोदिया में लोगो तथा सहखातेदारों द्वारा बताया गया कि हरगोविन्द व पप्पुलाल एक ही व्यक्ति के दो नाम है तथा प्रार्थी के दोनो नामों से जाना जाता है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम इब्राहीमपुरा कदीम सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 31 में हरगोविन्द पुत्र रामकिशन हिस्सा 1/2 जाति मीना सहखातेदार दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम बडोदिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 114 में पप्पु पुत्र रामकिशन हिस्सा 1/4 जाति मीना सहखातेदार दर्ज है फोटो प्रति पेन कार्ड, राशन कार्ड बैंक पास बुक, एवं आधार कार्ड में पप्पुलाल पुत्र रामकिशन मीना दर्ज है उक्त दस्तावेजों से यह साबित होता है कि प्रार्थी का नाम ग्राम इब्राहीमपुरा कदीम का जमाबन्दी में हरगोविन्द पुत्र रामकिशन दर्ज है एवं ग्राम बडोदिया की जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में पप्पुलाल पुत्र रामकिशन दर्ज है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी का नाम विवादित आराजी में जर्ये बेचाननामा के आधार पर दर्ज हुआ है। अर्थात् बेचाननामा में अंकित नाम हरगोविन्द का ही नामान्तरण दर्ज हुआ है इससे राजस्व विभाग द्वारा सहवन से त्रुटि नही हुई है। इसलिए प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट दिया जाना न्यायोचित नही है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)